




Report of the
Society for Social Audit, Accountability and Transparency
Govt. of Rajasthan, Jaipur

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2023–2024



प्रधान मंत्री
आवास योजना-ग्रामीण
Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी, राजस्थान, जयपुर

Email id : dir.socialaudit@rajasthan.gov.in

WebSite: www.socialaudit.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

वर्ष— 2023-24



**Social Audit Report
2023-24**





9

ग्राम पंचायत सेवडी पंचायत समिति नागौर में लाभार्थी भंवर कवर का निर्मित आवास



9

ग्राम पंचायत आकोदिया पंचायत समिति खानपुर में निर्मित आवास

क्र.सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
1.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का परिचय	5
2.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के उद्देश्य	6
	2.1 योजना के लाभार्थी	7
	2.2 लाभार्थी के कर्तव्य	8
	2.3 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत अन्य प्रावधान	9
	2.4 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं से देय लाभ	9
	2.5 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत देय लाभ	10
3.	सामाजिक अंकेक्षण	11
	3.1 प्रस्तावना	11
	3.2 सामाजिक अंकेक्षण— उद्देश्य	14
	3.3 सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT) का गठन	13
	3.4 कार्यान्वयन संस्था	14
	3.5 सामाजिक अंकेक्षण शासनादेश (MANDATE)	14
4.	प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के अन्तर्गत लाभार्थी की पात्रता	15
5.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अनुदान में सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य	16
6.	सामाजिक लेखा परीक्षा की आवश्यकता	17
7.	सूचना एवं निगरानी (रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग)	18
8.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सामाजिक अंकेक्षण का संभागवार विवरण	19
9.	पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के वर्ष 2023–24 में किये गए आवासों का सामाजिक अंकेक्षण हेतु निर्धारित मुख्य बिन्दु	25
	9.1 अन्य सुविधा व अभिसरण की सूचना	25
10.	वर्ष 2023–24 में किए गए सामाजिक अंकेक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताएं	26
	10.1. अधिकतम अनियमितताओं का विवरण	35
	10.2 संभागवार विवरण अधिकतम अनियमितताओं का विवरण	36

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का परिचय

स्वतंत्रता के तुरंत बाद शरणार्थियों के पुनर्वास के साथ देश में सार्वजनिक आवासीय कार्यक्रम शुरू किया गया और तब से लेकर अब तक यह गरीबी उपशमन के साधन के रूप में सरकार का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। जनवरी, 1996 में एक स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) नामक ग्रामीण आवासीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। यद्यपि आईएवाई में ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की जरूरतें पूरी की गई थीं, फिर भी वर्ष 2014 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा कराई गई निष्पादन लेखा परीक्षा और समवर्ती मूल्यांकन के दौरान कठिपय कमियों का पता चला था।



ग्रामीण आवास कार्यक्रम में इन कमियों को दूर करने और वर्ष 2022 तक “सभी के लिए मकान” उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए इंदिरा आवास योजना को 01.04.2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना—(ग्रामीण) (पीएमएवाई—जी) में पुनर्गठित किया गया है। पीएमएवाई—जी का उद्देश्य सभी बेघर परिवारों तथा कच्चे एवं टूटे—फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से लैस पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कच्चे टूटे—फूटे मकानों में रहने वाले एक करोड़ परिवारों को तीन वर्षों में अर्थात् 2016–17 से 2018–19 तक मकान उपलब्ध कराना है। मकान के न्यूनतम आकार को 20 वर्गमीटर से बढ़ाकर साफ—सुथरे रसोई घर सहित 25 वर्गमीटर कर दिया गया है। इकाई सहायता मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रु. से बढ़ाकर 1.20 लाख रु. तथा पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और आईएपी जिलों में 75,000 रु. से बढ़ाकर 1.30 लाख रु. कर दी गई है। लाभार्थी मनरेगा योजना से 90/95 दिनों की अकुशल मजदूरी पाने के हकदार हैं। शौचालय के निर्माण के लिए एसबीएम—जी, मनरेगा या वित्तपोषण के किसी अन्य स्रोत से तालमेल बिठाकर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पाइप के जरिए पेयजल आपूर्ति, बिजली कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन इत्यादि के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में तालमेल बिठाने का भी प्रयास किया जाता है।



2. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के उद्देश्य

प्रधानमंत्री आवास योजना—(ग्रामीण) (PMAY-G) के अन्तर्गत सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण—शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सब के लिए घर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2021–22 तक 2.95 करोड़ आवासों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अन्तर्गत वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक के तीन वर्षों में बेघर परिवारों/जीर्ण—शीर्ण मकानों में रहने वाले एक करोड़ परिवारों का लाभ पहुंचाना तथा स्थानीय सामग्रियों, डिजायन तथा प्रशिक्षित राज मिस्ट्रियों का उपयोग करते हुए अच्छे मकानों के निर्माण में मदद करना है। मकान को घर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं में तालमेल के माध्यम से पर्यावास दृष्टिकोण अपनाए जाने का प्रस्ताव है।



2.1 योजना के तहत लाभार्थी


प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना—2011 (SECC-2011) डाटा के आधार पर ग्राम सभा से अनुमोदित तैयार वरीयता सूची के परिवार पात्र होंगे। जिसमें आवासहीन, कच्चा आवासधारी (एक कमरे एवं दो कमरे का कच्चा आवास) परिवार जिन्हे पूर्व में किसी अन्य आवास योजना से लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, पात्र होंगे।

आवेदन कैसे करें

- वरीयता सूची में सम्मिलित परिवार योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत ई मित्र पर निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। वरीयता के आधार पर स्वीकृति जारी होने पर स्वीकृति की प्रति लाभार्थी को उपलब्ध कराते हुए लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ही प्रथम किश्त हस्तांतरित की जाती है।

सहायक दस्तावेज

- आधार कार्ड की प्रति लाभार्थी के सहमति पत्र के साथ
- बैंक पासबुक की प्रति
- जमीन पासबुक की प्रति
- पासपोर्ट साइज फोटो
- राशन कार्ड की प्रति
- मोबाइल नंबर (स्वयं या परिचित का)
- नरेगा जॉब कार्ड



2.2 लाभार्थी के कर्तव्य

- लाभार्थी को प्रथम किश्त प्राप्ति की दिनांक से अधिकतम 1 वर्ष की अवधि में आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कराना होगा।
- निर्मित आवास पर योजना का लोगो (प्रतीक चिन्ह) लगाने पर ही पूर्ण माना जावेगा।
- लाभार्थी द्वारा स्वीकृति के समय प्रस्तावित निर्माण स्थल में परिवर्तन अनुमत नहीं होगा।
- लाभार्थी द्वारा स्वीकृति के समय उपलब्ध कराये गये बैंक खाते का विवरण स्वीकृति उपरान्त सक्षम स्तर से अनुमति पर एक बार ही परिवर्तन हो सकेगा। अतः खाते को आवास पूर्ण होने तक परिचालन में रखना आवश्यक होगा।
- प्रथम किश्त प्राप्ति के एक वर्ष उपरान्त भी आवास निर्माण नहीं कराये जाने पर अनुदान राशि स्वतः ही बंद होने का प्रावधान, जिसको पुनः सक्षम स्तर से ही बढ़ाने का प्रावधान है।

लाभार्थियों के मकान निर्माण के 7 चरण

1. आवास की स्वीकृति

2. नींव रखना

3. कुर्सी क्षेत्र

4. विंडोसिल

5. लिंटेल

6. रूफकास्ट

7. समापन



2.3 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत अन्य प्रावधान

- आवास के साथ रसोईघर निर्माण का भी प्रावधान कर निर्मित क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर (269 वर्गफीट) निर्धारित किया गया है।
- आवास का निर्माण स्वयं लाभार्थी के द्वारा एक वर्ष की अवधि में पूर्ण कराना होगा।
- पंजीकरण हेतु लाभार्थी का अथवा परिचित का मोबाइल नम्बर अनिवार्य किया है।
- अनुदान राशि का हस्तान्तरण PFMS प्रणाली के माध्यम से सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में। स्वीकृति के लिए वर्तमान निवास एवं प्रस्तावित निर्माण स्थल की Geo Tagged फोटो अनिवार्य है।
- ग्रामसभा द्वारा तैयार वरीयता सूची क्रम में आवाससॉफ्ट के माध्यम से स्वीकृति जारी करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें लाभार्थी को स्वीकृति की प्रति दिया जाना अनिवार्य है।
- योजना की प्रगति एवं किश्त की जानकारियों के लिए गूगल / एप्ल प्ले स्टोर पर "AwaasApp" निःशुल्क उपलब्ध है, जिसका उपयोग लाभार्थी अपने स्वयं के मोबाइल नम्बर को आवाससॉफ्ट पर पंजीकृत करवाकर कर सकता है।
- लाभार्थी अनुमोदित आवास डिजाईनो में से किसी एक अथवा अपनी सुविधानुसार अन्य डिजाईन का आवास निर्माण कर सकता है।

2.4 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं से देय लाभ

- महात्मा गाँधी नरेगा योजना के साथ कन्वर्जेन्स के तहत 90 अकुशल मानव दिवस का पारिश्रमिक वर्तमान में (राशि रु. 23,940/- {266x90}) देय है।
- महात्मा गाँधी नरेगा योजना के प्रावधान अनुसार अनुमत कार्य भूमि सुधार, कृषि / उद्यानिकी, लघु सिंचाई के कार्य कराये जा सकते हैं।
- महात्मा गाँधी नरेगा योजना के प्रावधान अनुसार पात्र लाभार्थियों के आवास के साथ-साथ पशु छाया गृह निर्माण भी कराया जा सकता है।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति / सौभाग्य योजना के प्रावधानों के अनुसार विद्युत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित JJM (जल जीवन मिशन) के प्रावधानों के अनुसार स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध।
- उज्जवला योजनान्तर्गत गैस कनेक्शन।
- श्रमिक कार्ड जारी करवाकर श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ।

2.5 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत देय लाभ

योजनान्तर्गत लाभार्थी को देय अनुदान राशि रु 1,20,000/- आवास निर्माण के विभिन्न स्तरों पर 3 किश्तों में देय है। प्रथम किश्त आवास स्वीकृत होने पर रु 15,000/- द्वितीय किश्त व कुर्सी स्तर तक निर्माण पूर्ण करने पर रु 45,000/- तृतीय किश्त शौचालय निर्माण एवं छत स्तर तक का कार्य पूर्ण करने पर रु 60,000/- देय है।

किश्त	आवास निर्माण स्तर	वर्ष 2016–17 में देय राशि	वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में देय राशि	वर्ष 2019–20 से देय राशि
प्रथम	स्वीकृति के साथ	30000	30000	15000
द्वितीय	कुर्सी स्तर तक निर्माण पूर्ण करने पर	60000	48000	45000
तृतीय	शौचालय निर्माण एवं छत स्तर तक का आवास निर्माण कार्य पूर्ण करने पर	30000	42000	60000



राजस्थान के लिए मकान का डिजाइन

बाडमेर, पाली, जोधपुर और जैसलमेर ज़िलों के लिए इस डिजाइन की सिफारिश की गई है।

3.1 प्रस्तावना

महात्मा गांधी नरेगा योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक अंकेक्षण है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17 (2) में ग्राम सभा द्वारा योजनान्तर्गत करवाए गए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करवाना अनिवार्य किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम में वर्णित इस प्रावधान के अनुरूप वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण करवाने हेतु पिछली कमियों में सुधार करते हुए सामाजिक अंकेक्षण को और प्रभावी बनाने के विशेष प्रयास वर्तमान में किये जा रहे हैं। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 एवं महात्मा गांधी नरेगा स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011 की भावना के अनुरूप प्रभावी सामाजिक अंकेक्षण के लिए राज्य स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय स्थापित किया हुआ था। सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय द्वारा योजना के सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित समस्त कार्य, जिनमें वार्षिक कलैण्डर तैयार करना, संसाधन व्यक्तियों का चयन, प्रशिक्षण एवं अभिनियोजन सुनिश्चित कराना, समय पर सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित कराना, सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही के उपरान्त उनका फॉलोअप करना आदि कार्य जिला कार्यक्रम समन्वयक के सहयोग से संपादित किए जा रहे थे। वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशानुसार एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का गठन किया गया है। इससे ना केवल अधिनियम के प्रावधानों की बेहतर पालना की जा सकेगी, बल्कि सामाजिक अंकेक्षण की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकेगा। साथ ही वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप महात्मा गांधी नरेगा योजना, एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अलावा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) पन्द्रहवाँ वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों एवं योजना का भी सामाजिक अंकेक्षण करवाया जा रहा है।

3.2 सामाजिक अंकेक्षण— उद्देश्य

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा वास्तविक लाभार्थियों को सम्पूर्ण अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके, इस हेतु समाज के प्रभावित पक्षों, सिविल सोसायटी संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं आम नागरिकों द्वारा तथ्य परख निगरानी व्यवस्था ही “सामाजिक अंकेक्षण” है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शब्दों में “पारदर्शिता” एवं “जवाबदेहिता” लोकतंत्र के दो स्तंभ हैं— एक अवधारणा के रूप में सामाजिक अंकेक्षण पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता—दोनों के उद्देश्यों की जमीनी स्तर पर पूर्ति करता है। सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत स्वैच्छिक संस्था “मज़दूर किसान शक्ति संगठन” द्वारा की गयी, जिसमें सरकारी कार्यों एवं व्यय का सामाजिक अंकेक्षण राजस्थान के भीलवाडा जिले में 2009–10 से प्रारम्भ किया गया। पंचायती राज अधिनियम द्वारा ग्राम सभा को पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं सरकार के कार्यों की स्थानीय निगरानी का कार्य सौंपा गया। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005, ई—गवर्नेंस आदि के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की नींव रखी गयी तथा जनता को सरकारी रिकॉर्डों तक पहुँच प्रदान की गयी।



इस हेतु विभिन्न योजनाओं के दिशा निर्देशों में भारत सरकार द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने संबंधी निर्देशों का समावेश किया हुआ है ताकि उन योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ प्राप्त हो रहे हैं, कि समीक्षा जनसाधारण द्वारा होती रहे, समस्त वांछित सूचनायें पूर्ण पारदर्शितापूर्वक उपलब्ध हो सके तथा सबसे कमजोर वर्ग की आवाज भी शासन के सर्वोच्च पदों पर पदासीन अधिकारियों तक सुगमतापूर्वक पहुंचे। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम ऐसा प्रथम राष्ट्रीय कानून है, जिसमें सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को विधिवत् स्वीकार किया गया है। MGNREGA के अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हेतु सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य बनाया गया है।

सोशल ऑडिट की अवधारणा के तहत सूचनाओं को आमजन तक पहुँचाया जाता है, ताकि किसी कार्यक्रम के लिए नीति बनाने से लेकर उसके कार्यान्वयन और मूल्यांकन तक का व्यौरा पारदर्शी हो सके। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के चरण निम्नानुसार हैं—

01. सूचनाओं एवं अभिलेखों
का संकलन

02. क्षेत्र भ्रमण एवं जांच

03. झापट प्रतिवेदन एवं ग्राम
सभा की बैठक की तैयारी

04. ग्राम सभा की बैठक एवं
प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देना

05. प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण
एवं फालोअप

06. सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट
की अनुपालना

3.3 सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का गठन

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक M-13015/2012/MGNREGA vii/ pt- दिनांक 11-08-2014 में प्रदत्त निर्देशानुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत मंत्रीमण्डलीय ज्ञापन संख्या एफ11 (8)/ग्रा.वि. / नरेगा / सिविल सोसायटी / सा.अंके./ 2015 दिनांक 19-06-2019 पर हुए मंत्रीमण्डलीय आज्ञा क्रमांक डी. 49 / म.म. / 2019 दिनांक 27-06-2019 (परिशिष्ट-1) पालना में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के गठन का अनुमोदन किया गया। इसकी पालना में सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का पंजीकरण राजस्थान पंजीयन अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अन्तर्गत करवाया गया जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक COOP/2019/Jaipur/104900 दिनांक 20-08-2019 है। (परिशिष्ट-2) सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की विधिवत अधिसूचना राजस्थान राजपत्र साधारण दिनांक 19-09-2019 में प्रकाशित की गई है।

उपरोक्तानुसार एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई (SSAAT) का गठन किया गया है। इससे ना केवल अधिनियम के प्रावधानों की बेहतर पालना की जा सकेगी, बल्कि सामाजिक अंकेक्षण की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकेगा। वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा, मिड-डे-मील योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं पन्द्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों एवं योजनाओं का भी सामाजिक अंकेक्षण करवाया जा रहा है।



3.4 कार्यान्वयन संस्था

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना है। योजना के तहत क्रियान्वन संस्था ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार है।

इस योजना के तहत, नाबार्ड ने 2017–18 से 2021–22 तक राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (NRIDA), भारत सरकार के SPV को केंद्रीय हिस्से के आंशिक वित्तपोषण के लिए ऋण दिया है।

राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की क्रियान्वयन संस्था ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार है।

3.5 सामाजिक अंकेक्षण शासनादेश (MANDATE)

भारत सरकार के पत्र क्रमांक 1&11011/05/2013&RH दिनांक 17 फरवरी, 2015 के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के तहत योजनान्तर्गत इन्दिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका के पैरा संख्या 8.3 व पैरा 8.3.3 के अनुसार योजना का सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने के लिए निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण, मनरेगा को अधिकृत किया है एवं योजना के सामाजिक अंकेक्षण कार्य के प्रभावी क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, समन्वय हेतु जिला परिषदों को हस्तान्तरित राशि से 1 प्रतिशत राशि सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय को हस्तान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17 एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजनान्तर्गत संचालित समस्त कार्यों एवं व्यक्तिगत लाभार्थियों का प्रत्येक छः माह में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण करवाने का प्रावधान है, उक्त योजना के साथ—साथ इस अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत समस्त कार्यों एवं स्वीकृत, प्रगतिरत एवं पूर्ण आवास लाभार्थियों के सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

4. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत लाभार्थी की पात्रता

प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना – 2011 (SECC-2011) डाटा के आधार पर ग्राम सभा से अनुमोदित तैयार वरीयता सूची के परिवार पात्र होगे। जिसमें आवाहीन, कच्चा आवासधारी (एक कमरे एवं दो कमरे का कच्चा आवास) परिवार जिन्हे पूर्व में किसी अन्य आवास योजना से लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, पात्र होंगे।

परिवार की पात्रता निम्न 14 मापदण्ड होने पर ही मान्य होगी।

1. मोटर साईकल दुपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन/मछली नाव होने पर।
2. मेकेनाईज्ड तिपहिया/चौपहिया वाहन कृषि उपकरण होने पर।
3. किसान कैडिट कार्ड, कैडिट सीमा 50 हजार या उससे अधिक होने पर।
4. परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने पर।
5. परिवार के गैर कृषि उद्धमों का सरकार के साथ पंजीकृत होने पर।
6. परिवार के किसी भी सदस्य की आय अधिकतम रूपये 10 हजार प्रति माह या अधिक होने पर।
7. इन्कम टेक्स देन पर।
8. व्यावसायिक कर देने पर।
9. स्वयं का रेफिजरेटर होने पर।
10. स्वयं का लेण्डलाईन फोन होने पर।
11. स्वयं 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के साथ एक सिंचित उपकरण होने पर।
12. 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के मालिक के साथ दो या अधिक मौसमी फसल होने पर।
13. 7.5 एकड़ भूमि के साथ या अधिक, का एक सिचाई उपकरण के साथ होने पर।
14. किसी अन्य आवास योजना पूर्व में लाभान्वित होने पर।

उक्तानुसार ग्राम पंचायतवार/वर्गवार पात्रता सूचियां तैयार कर लाभार्थी के नाम के आगे सम्भावित स्वीकृति वर्ष का अंकन किया जावेगा।

मूल वरीयता सूची में शामिल लेकिन सत्यापन उपरान्त अपात्र परिवारों के सम्मुख अपात्रता के कारण स्पष्ट उल्लेखित/अंकन किया जावेगा। ग्राम पंचायतवार वरीयता सूचीयों की संकलित प्रति पंचायत समितिवार तैयार कर सार्वजनिक स्थलों/जनप्रतिनिधियों/राजकीय कार्यालयों में आमजन हेतु अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई जावेगी।

5. प्रधानमंत्री आवास योजना-(ग्रामीण) के अनुदान में सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य

पंचायतीराज संस्थानों द्वारा इन अनुदानों के उपयोग में सार्वजनिक जवाबदेही की उपलब्धि सुनिश्चित करना है। यह प्रक्रिया ऑडिट अनुशासन की आवश्यकताओं के साथ लोगों की भागीदारी और निगरानी को जोड़ती है। यह एक तथ्य खोजने की प्रक्रिया है न कि दोष खोजने की प्रक्रिया। यह एक बैलेंस शीट दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए (सकारात्मक पहलुओं की पहचान करना, जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, भविष्य में जिन क्षेत्रों से बचना चाहिए और साथ ही गंभीर अनियमितताओं को सूचीबद्ध करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उपयोग सामाजिक लेखापरीक्षा के अन्य उद्देश्य पंचायतीराज संस्थानों द्वारा जारी अनुदानों में शामिल हैं:-

- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अनुदान और उनके उपयोग के बारे में ग्रामीण नागरिकों के बीच सूचना प्रसारित करना और जागरूकता फैलाना।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के उपयोग में शामिल प्राथमिक हितधारकों की क्षमता निर्माण।
- समुदाय को बढ़ावा देना आधारित भागीदारी निगरानी प्रणाली।
- पंचायतीराज संस्थानों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रभावशीलता को बढ़ाना।
- ग्राम सभा और सार्वजनिक सुनवाई (जनसुनवाई) जैसे सहयोगी प्लेटफार्मों की सुविधा के लिए जहां लाभार्थी, निर्वाचित प्रतिनिधि और पंचायतीराज संस्थानों के पदाधिकारी और अन्य हितधारक अपनी आवश्यकताओं, शिकायतों और मुद्दों को व्यक्त कर सकते हैं।
- निर्धारित प्रक्रियाओं और रिसावों में विचलन को कम करके प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अनुदान के उपयोग को मजबूत करना।
- शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक उत्तरदायी और कुशल बनाना।



6. सामाजिक लेखापरीक्षा की आवश्यकता

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित प्रमुख योजना है जो वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास समर्पित योजना है। एक मजबूत एमआईएस यानी आवाससॉफ्ट के माध्यम से योजना की प्रगति पर नजर रखने के अलावा, स्वतंत्र रूप से निगरानी करना भी महत्वपूर्ण है। क्षेत्र में योजना का कार्यान्वयन क्षेत्र स्तर की चुनौतियों को प्रकाश में लाएगा जो अन्यथा दिखाई नहीं दे सकती हैं। इससे सुधारात्मक उपाय करने में मदद मिलेगी। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि योजना की निगरानी में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट एक शक्तिशाली उपकरण है और इससे कार्यान्वयन में सुधार होता है।



Latitude: 25.719687
Longitude: 74.081318
Altitude: 532.8±79 m
Accuracy: 7.0 m
T: +91 11 2222 11 50

ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन

7. सूचना एवं निगरानी (रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग)

सामाजिक लेखा परीक्षा दल और रिसोर्स पर्सन लाभार्थियों के साथ में प्रक्रिया और प्रक्रियाविधि के संबंध में निम्नलिखित का सत्यापन करेगें :-

- क्या लाभार्थियों को उनके अधिकारों और हकों के बारे में जानकारी दे दी गई है ?
- क्या पीएमएवार्ड जी के तहत सहायता पाने के लिए पात्र लाभार्थियों की स्थाई प्रतीक्षा सूची ऐसीसीसी-2011 के आंकड़ों से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार कर ली गई है ?
- क्या प्राथमिकता सूची से हटाने अथवा उसमें परिवर्तन किए जाने से संबंधित अपील अवसरों का लाभ मिल चुका है ?
- क्या पूरी प्रक्रिया और सूचियों को व्यापक रूप से प्रचारित कर दिया गया है ?
- क्या लाभार्थियों की वार्षिक चयन सूची स्थाई प्रतीक्षा सूची की प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर ली गई है ?
- क्या लाभार्थी का पंजीकरण आवास सॉफ्ट आदि में समय से दर्ज कर लिया गया है ?

उपरोक्त सत्यापन के बाद सामाजिक लेखा-परीक्षा दल के निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए ग्राम सभा की अध्यक्षता उस वयोवृद्ध व्यक्ति के द्वारा की जाएगी, जो उस ग्राम पंचायत या जो भी लागू हो या कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी का हिस्सा नहीं है। ग्राम सभा या जो भी लागू हो उन सभी लाभार्थियों के लिए एक मंच होगा, जो लाभार्थियों की अंतिम सूची और वार्षिक चयन सूची और पीएमएवार्डजी के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे उठाने वाले अन्य ग्रामीणों के रूप में हों। सरकार सामाजिक लेखा-परीक्षा ग्राम सभा के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकती है। इन संपूर्ण प्रक्रियाओं की उचित तरीके से वीडियोग्राफी की जानी चाहिए और इन्हें पी. एम. ए. वार्ड. जी. वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निष्पादन और प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र लागू किया गया है। आवाससॉफ्ट में वर्कफ्लो आधारित ट्रांजेक्शनल डाटा का उपयोग करते हुए प्रगति को रीयल टाइम दर्ज करते हुए निष्पादन निगरानी की जाती है। निगरानी के लिए केंद्रीय दलों द्वारा निरीक्षण, जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति द्वारा निगरानी, लेखा परीक्षा और राज्यस्तरीय पीएमयू के द्वारा जांच जैसी व्यवस्था अपनाई जाती है।

8. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सामाजिक अंकेक्षण का संभागवार विवरण

सामाजिक अंकेक्षण कैलेंडर के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2023-2024 में कुल 33 जिलों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया, जिनका संभागवार विवरण निम्नानुसार हैः—




संभाग का नाम	अजमेर	जयपुर	उदयपुर	बीकानेर	भरतपुर	कोटा	जोधपुर	कुल अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या
अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या	857	1275	781	999	783	695	1131	6521

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में वर्ष 2021–22, 2022–23 व 2023–24 तक स्वीकृत आवासों का सामाजिक अंकेक्षण एवं भौतिक सत्यापन की स्थिति निम्नानुसार है :-


क्र.सं	जिले का नाम	प्रस्तावित ग्राम पंचायतों की संख्या	स्वीकृत आवासों की संख्या				अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या
			वर्ष 2021–22	वर्ष 2022–23	वर्ष 2023–24	कुल आवासों की संख्या	
1	अजमेर	325	6345	0	0	6345	202
2	अलवर	556	2186	0	0	2186	258
3	बांसवाड़ा	417	28698	0	0	28698	203
4	बारां	229	13939	0	0	13939	211
5	बाढ़मेर	688	39689	0	0	39689	160
6	भरतपुर	400	150	0	0	150	310
7	भीलवाड़ा	396	20267	0	0	20267	274
8	बीकानेर	366	16227	0	0	16227	280
9	बूद्धी	182	10892	0	0	10892	170
10	चित्तौड़गढ़	299	8491	0	0	8491	127
11	चुरू	304	6858	0	0	6858	213
12	दौसा	281	1413	0	0	1413	243
13	धौलपुर	188	1938	0	0	1938	122
14	झूंगरपुर	353	23198	0	0	23198	20
15	हनुमानगढ़	267	8484	0	0	8484	181
16	जयपुर	584	2988	0	0	2988	239
17	जैसलमेर	205	15575	0	0	15575	72
18	जालौर	306	6538	0	0	6538	158
19	ज्ञालावाड़	254	28908	0	0	28908	214
20	झुंझुनू	333	357	0	0	357	306
21	जोधपुर	619	16135	0	0	16135	456
22	करौली	240	7355	0	0	7355	217
23	कोटा	155	8392	0	0	8392	100
24	नागौर	497	9560	0	0	9560	210
25	पाली	338	7723	0	0	7723	146
26	प्रतापगढ़	234	12639	0	0	12639	116
27	राजसमंद	213	6700	0	0	6700	52
28	सरवाई माधोपुर	225	12268	0	0	12268	134
29	सीकर	373	804	0	0	804	229
30	सिरोही	170	6775	0	0	6775	139
31	श्रीगंगानगर	344	17294	0	0	17294	325
32	टोक	236	13165	0	0	13165	171
33	उदयपुर	645	31850	0	0	31850	263
	कुल योग	11222	393801	0	0	393801	6521

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में वर्ष 2021–22 व 2022–23, 2023–24 तक स्वीकृत आवासों का सामाजिक अंकेक्षण संभागवार चार्ट निम्नानुसार हैः—


अजमेर संभाग :— अजमेर, टोंक, नागौर, भीलवाडा




जयपुर संभागः— जयपुर, झुंझुनू, सीकर, दौसा, अलवर




उदयपुर संभाग :— उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झुंगरपुर, बांसवाडा,




बीकानेर संभाग :— श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरु, बीकानेर




भरतपुर संभाग :— भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर



कोटा संभाग :— कोटा, झालावाड़, बुंदी, बारां





9 . प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के वर्ष 2023–24 में किए गए आवासों का सामाजिक अंकेक्षण हेतु निर्धारित मुख्य बिन्दु

- आवास की गुणवत्ता या क्षेत्रफल में कमी
- महात्मा गांधी नरेगा से देय मानव दिवस का लाभ नहीं दिया
- वास्तव में मकान पूर्ण, किंतु लाभार्थी को किश्त का भुगतान नहीं
- अपात्र लाभार्थी को स्वीकृति (पहले से पक्का आवास होने या सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद स्वीकृति)
- लाभार्थी को नरेगा से कार्य उसके जॉब कार्ड की बजाय लाभार्थी की सहमति के बिना अन्य किसी के जॉब कार्ड पर दिया गया ।
- लाभार्थी द्वारा आवास का गैर आवासीय प्रयोग किया जा रहा है।
- अपूर्ण आवास को पूर्ण दिखाया गया ।
- राशि का दुरुपयोग (पूर्व निर्मित आवास पर अथवा बिना निर्माण करवाये समस्त अनुदान राशि जारी)
- लाभार्थी द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़कर स्थायी रूप से पलायन ।
- लाभार्थी द्वारा अनुदान राशि जारी कराने में रिश्वत की शिकायत की गई ।
- राजकीय भूमि पर आवास निर्मिति ।

9.1 अन्य सुविधा व अभिसरण की सूचना

- शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं ।
- शौचालय स्वीकृत नहीं होने से निर्मित नहीं ।
- आवास में बिजली कन्वशन है या नहीं ।
- राज्य / केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के प्रावधनों के अनुसार सोलर लाइट/सोलर स्ट्रीट लाइट है या नहीं ।
- स्वच्छ पेयजल है या नहीं ।
- उज्ज्वला योजनान्तर्गत गैस उन्नत चूल्हा उपलब्ध कराया गया है या नहीं ।
- आवास का उपयोग रिहायशी के लिए किया जा रहा है अथवा नहीं ।
- PMAY(G) लोगों / सूचना बोर्ड लगा हुआ है या नहीं ।

10. वर्ष 2023–24 में किए गए सामजिक अंकेक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताएं

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की वर्ष 2023–24 में कुल 33 जिलों की गूगल लिंक पर अपलोड 6521 अंकेक्षण रिपोर्ट्स का अध्ययन कर उक्त अनियमितताएं दर्शायी गई है :-

क्र.सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	PMAYG ID	लाभार्थी का नाम	पाई गई अनियमितता का विवरण
1	अजमेर	भिनाय	कैराट	RJ105792119	पुष्पा शर्मा	आवास अपूर्ण
				RJ100488569	प्रहलाद	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ102641462	जीवनों	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ105378939	बीरम	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ102259062	नीम्बा	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ102663380	गीतू	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
		पीसांगन	गोला	RJ32731080	नौसर	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ100811358	शौकीन	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
2	अलवर	थानागाजी	अजबपूरा	RJ100057564	राधेश्याम	आवास अपूर्ण
			भीकमपुरा	RJ10097507	प्रेम देवी	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ100858148	मूल चन्द मीणा	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
3	बांसवाड़ा	अरथुना	आजना	RJ105048659	हरीश भट्ट	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ105463443	नानालाल	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
		सज्जनगढ़	सांगवा	RJ104917869	कडवी	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ103580008	कांता	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
		अंता	रातडिया	RJ140106589	शान्ति बाई	आवास अपूर्ण
			सारथल	RJ118254132	गणेश राम	बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं
4	बारां	छीपाबडौद	रामपुरा	RJ131935611	शशि	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
			तुहिया	RJ131545768	ओमवती	बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं
5	भरतपुर	सेवर				

		पहरी	सतवाड़ी	RJ2368887	सकूनत	वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नहीं
6	भीलवाड़ा	बनेडा	खेडलिया	RJ141312571	सुमित्रा	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ2796808	रतन	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
		आसींद	आमेसर	RJ1366073382	रूपलाल	आवास अपूर्ण
				RJ137809663	उगमी	आवास अपूर्ण
7	बाड़मेर	गुडामालानी	गुडामालानी	RJ3291655	शान्ति	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ100995606	माफी	शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
				RJ100996680	निरमा	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ102156531	सुआ	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
		चौहटन	बीजाड	RJ3673445	पपु	आवास अपूर्ण
				RJ3108655	पदमसिंह	आवास अपूर्ण
8	बीकानेर	बज्जू खालसा	बज्जूतोजपूरा	RJ106807645	भगानी	शौचालय स्वीकृत नहीं होने से निर्मित नहीं
				RJ117423827	फारुख	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ117393922	दुंगरराम	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
		बीकानेर	केसर देसर जाटान	RJ130731505	करणाराम	शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
				RJ143488235	भागीरथ	शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
				RJ148379546	श्रवनराम	शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
9	बून्दी	बून्दी	अन्थडा	RJ106218654	पंचफुला	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ137837502	रमेश कुमार	आवास अपूर्ण
		नेनवा	सिसोला	RJ3706669	दुर्गा बाई	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ3446554	संत्था बाई	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ3695613	राम प्रकाश	अपूर्ण आवास को पूर्ण दिखाया गया
		के. पाटन	सुमेरगंज मंडी	RJ3719923	पुष्पा बाई	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				12282554919	शाहदीन	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				1141081261889160	मनमर	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				1166237791903380	सुशीला	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।

		बड़ी सादडी	लक्ष्मीपुरा	RJ1100969	शंकर	आवास अपूर्ण
10	चितौडगढ़	भदेसर	गरदाना	RJ132319055	नारायणी बाई	लाभार्थी द्वारा आवास का गैर आवासीय प्रयोग किया जा रहा है
				RJ132304553	मोहन	लाभार्थी द्वारा आवास का गैर आवासीय प्रयोग किया जा रहा है
				RJ132301968	नारायण लाल	लाभार्थी द्वारा आवास का गैर आवासीय प्रयोग किया जा रहा है
		निम्बाहेडा	बागेडा घाटा	RJ134089275	केशुराम	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ134805929	कला बाई	लाभार्थी द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़कर स्थायी पलायन
		चुरु	सहजूसर	RJ131128462	पोकर राम	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
11	चुरु	राजगढ़	लीलावटी	RJ131031271	सरोज	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ132121953	इन्द्रो	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ114845941	संतोष देवी	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
12	दौसा	सीकराय	ठीकरिया	RJ115959300	सीमा देवी	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ106694359	मीरा	आवास अपूर्ण
		सिकंदरा	बांझपडा	RJ104029145	कपलेश देवी	आवास अपूर्ण
				RJ150188900	हनफीबेग	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
		लालसोट	चाँदसैन	RJ115151514	रुपा	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ07073007	सीमा	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ149224816	रामबाबू	बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं
				RJ114067346	चुकाई	बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं
				RJ149984913	ओमप्रकाश	बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं
				RJ149169700	राजेंद्र	बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं
				RJ150027532	रामनिवास	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
		महवा	सांथा	RJ149618045	निरीदेवी	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ139942891	गीता	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ1813221	मिनुआ	शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
				RJ134089275	केशुराम	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ132304553	सरोज	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ132301968	नारायण लाल	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।

				RJ2078006	रवीना	शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
14	झुंगरपुर	बिछीवाड़ा	शिशोद	RJ3677017	सीमा	आवास अपूर्ण
				RJ121553489	मूल चन्द	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ121618170	चेतन	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ2823749	हकारचंद	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ124141360	नरेन्द्र	आवास अपूर्ण
				RJ121355023	राहुल	आवास अपूर्ण
				RJ122547299	कनिश	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ139601291	विमना	आवास अपूर्ण
				RJ3695207	सुनीता	आवास अपूर्ण
			मेवाड़ा	RJ119654489	लीला	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
15	हनुमानगढ़	पीलीबंगा	7 STB	RJ137150621	माबू	लाभार्थी द्वारा आवास का गैर आवासीय प्रयोग किया जा रहा है।
				RJ123220720	शंकर	आवास अपूर्ण
				RJ0200541305	सुखदेव	शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
16	जयपुर	पावटा	टकसोला	RJ020052220	कालीदेवी	शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
				RJ020052302	सोमती	शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
			धन्नासर	RJ1840570	तारावती	लाभार्थी को किस्त का भुगतान नहीं
			सुन्दरपुरा नाड़ा	RJ131725691	ललिता देवी	लाभार्थी द्वारा आवास का गैर आवासीय प्रयोग किया जा रहा है।
				RJ122531329	रुबीना देवी	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ121708110	मुनेश देवी	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
		शाहपुरा	करीरी	RJ134791826	बालूराम	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ139662743	कमलादेवी	स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं
				RJ139673553	नारंगी देवी	बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं
			निठारा	RJ150093220	केसरी देवी	शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
				RJ14210747	रामप्रताप मीणा	शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
17	जैसलमेर	साकड़ा	डीडागिया	RJ137622340	विमलादेवी	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ133245475	लालचंद	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
17	जैसलमेर	साकड़ा	डीडागिया	RJ131847501	समूह कँवर	आवास अपूर्ण

18	जालौर	चितलवाना	आकोली	RJ1917236	ओखी देवी	शौचालय स्वीकृत नहीं होने से निर्मित नहीं
				RJ3703213	बंशी लाल	शौचालय स्वीकृत नहीं होने से निर्मित नहीं
19	झालावाड़	पिडावा	ढाबलाखिंची	RJ137295050	राधा बाई	आवास अपूर्ण
		खानपुर	सारोला कल्ला	RJ131308496	कैलाश चन्द	आवास अपूर्ण
				RJ130766860	रामदीन	आवास अपूर्ण
				RJ149672529	बद्रीलाल	आवास अपूर्ण
		मरायता		RJ149577960	चौथमल	बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं
				RJ149577586	श्रीलाल	लाभार्थी द्वारा आवास का गैर आवासीय प्रयोग किया जा रहा है।
				RJ120276718	हरिओम	लाभार्थी द्वारा आवास का गैर आवासीय प्रयोग किया जा रहा है।
		मालनवासा		RJ130009806	मूरति बाई	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ134461257	मंजू बाई	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ130008858	दाखा बाई	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
20	झुंझुनूं	खेतड़ी	माधोगढ़	RJ133931497	मंथरा	आवास अपूर्ण
		उदयपुरवाटी	रघुनाथपुरा	RJ149708819	विजय कुमार	आवास अपूर्ण
		अलसीसर	लूटू	RJ140528422	रामप्रसाद	शौचालय स्वीकृत नहीं होने से निर्मित नहीं
		नवलगढ़	परमरामपूरा	RJ136834738	फातमा	अपूर्ण आवास को पूर्ण दिखाया गया
		चिडावा	नारी	RJ100694536	सुनीता	अपूर्ण आवास को पूर्ण दिखाया गया
21	जोधपुर	सेखाला	भालूलक्ष्मणगढ़	RJ135940604	हुलसी	वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नहीं
		मण्डेर	डांगियावास	RJ132957118	बाया	आवास अपूर्ण
				RJ132554394	पीराराम	आवास अपूर्ण
		केरू	बेरू	RJ1366235886	चौनाराम	वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नहीं
				RJ136237232	मोटाराम	वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नहीं
			हेमनगर पुनिया की प्याऊ	RJ133941604	भंवरी देवी	वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नहीं
		लूणी	नंदवान	RJ132518126	ममता	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ132519828	तीजी देवी	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
		सेखाला	सेखाला	RJ135639231	मीरो	शौचालय स्वीकृत नहीं होने से निर्मित नहीं

				RJ135633768	तीजो देवी	वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नहीं
22	करौली	नावौती	केमला	RJ132030035	प्रभु	आवास अपूर्ण
				RJ132808342	पुनी	आवास अपूर्ण
				RJ131910490	किलानी	आवास अपूर्ण
		मासलपुर	फतहेपुर	RJ142124480	बबिता	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ141580955	भगवंता	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ141805568	विजेंद्र	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ141580455	हरके	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ141580571	जगमोहन	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
23	कोटा	इटावा	अयाना	RJ135496198	बसन्ती	वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नहीं
				RJ149551226	कैलाशी	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ150450312	मीना	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
		अमानी		RJ134465883	मांगीलाल	शौचालय स्वीकृत नहीं होने से निर्मित नहीं
				RJ134465858	गिराज	शौचालय स्वीकृत नहीं होने से निर्मित नहीं
		खैराबाद	गादिया	RJ13348532	बजरंग लाल	लाभार्थी द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़कर स्थायी पलायन
		सांगोद	झालरी	RJ130397823	महेंद्र	आवास अपूर्ण
24	नागौर	डेगाना	सांजू	RJ102221684	शारदा	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ102224021	बिदामी	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ102224090	रतनी देवी	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
		कुचामन	प्रेम पूरा	RJ149605971	दौलतआम	अपूर्ण आवास को पूर्ण दिखाया गया
				RJ105588864	सुगनी	लाभार्थी द्वारा आवास का गैर आवासीय प्रयोग किया जा रहा है।
				RJ105922534	मोहिनी	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
		परबतसर	पीलवा	RJ1803679	बन्नराम	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ1803678	शकुरी	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।

				RJ1855054	ललिता	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ2018112	कैलाश	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
25	पाली	मा.जंक्शन	सिरयारी	RJ131989432	मूल चन्द	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ132124855	युसूफ मोहमद	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ132333111	राकेश सेन	अपूर्ण आवास को पूर्ण दिखाया गया
				RJ132900774	हंसराज	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
26	प्रतापगढ़	दलोट	रायपुर	RJ105968731	नन्दलाल	शौचालय स्वीकृत नहीं होने से निर्मित नहीं
				RJ105799338	हरकू	शौचालय स्वीकृत नहीं होने से निर्मित नहीं
				RJ105799385	देवीलाल	शौचालय स्वीकृत नहीं होने से निर्मित नहीं
		लिलिमा	सियाखेड़ी	RJ1149570274	कामेरी	बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं
				RJ114965612	तुलसीराम	लाभार्थी द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़कर स्थायी पलायन
				RJ103537321	रुकमी	बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं
		छोटी सादड़ी	सियाखेड़ी	RJ136578949	रमेश	आवास अपूर्ण
				RJ1547671	लीला	महात्मा गाँधी नरेगा से देय मानव दिवस का लाभ नहीं दिया
				RJ137956633	अमरी	लाभार्थी को किस्त का भुगतान नहीं
		धरियावृद्ध	मानपुर	RJ132543920	कानिया	आवास के गुणवत्ता एवं क्षेत्रफल में कमी
				RJ133201649	केशिया	महात्मा गाँधी नरेगा से देय मानव दिवस का लाभ नहीं दिया
				RJ13517749	लालकी	महात्मा गाँधी नरेगा से देय मानव दिवस का लाभ नहीं दिया
27	राजसमन्द	भीम	हमेला की बेर	RJ149989247	संतोष नाथ	लाभार्थी द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़कर स्थायी पलायन
			सारोठ	RJ147933756	सोहन लाल	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
		राजसमन्द	मुन्डोल	RJ00063009	भंवरलाल	शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
				RJ00063529	बेजीराम	बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं
				RJ10006884	बंशीलाल	बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं
				RJ100063498	भानुलाल	शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं

				RJ100036383	प्रकाश	लाभार्थी द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़कर स्थायी पलायन
28	सवाईमाधोपुर	बामनवास	खेडली	RJ124717241	रकमदेवी	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ155336583	भौती देवी	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
		गंगापुर सिटी	अहमदपुर	RJ132931778	रुकमणि देवी	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ131764969	सुशीला देवी	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ132048171	तुलसी देवी	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ131219384	सुशीला	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
		श्रीमाधोपुर	मऊ	RJ1191995	ममता	स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं
			जोरावर नगर	RJ3364594	मनरवली	स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं
		खण्डेला	कांवर	2713006216/IAY/1911265	विमला देवी	स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं
30	सिरोही	शिवगंज	अन्दौर	RJ132878073	गोवाराम	आवास अपूर्ण
				RJ137653894	चंपा बाई	आवास अपूर्ण
				RJ137837502	रमेश कुमार	आवास अपूर्ण
31	श्रीगंगानगर	घडसाना	2MLD	3295549	जयवंती	आवास अपूर्ण
		पदमपुर	फकीरवाली	RJ13607087	राजेश	बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं
				RJ150168326	सुरेन्द्र	बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं
				RJ122493598	पृथ्वीराज	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
		रायसिंह नगर	3RBA	RJ150003619	मंगली	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
			उदसर	RJ105325429	परमजीत	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ105326033	नौरा	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
32	टोंक	टोंक	मेहन्दवास	RJ132126123	कमलेशी	आवास अपूर्ण
		देवली	निवारिया	RJ100082361	मंगलाराम भील	शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
		उनियारा	मोहम्मदगढ़	RJ2864394	आरती	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ135691881	केली	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ874118	अनीता	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
		देवली	गावडी	RJ1629867	मांगीलाल	लाभार्थी द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़कर स्थायी पलायन

				RJ1739996	कजोड़ी	लाभार्थी द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़कर स्थायी पलायन
				RJ1739996	आशा	आवास अपूर्ण
मालपुरा	रीडलिया बुजुर्ग		चाँदसेन	RJ2466709	सत्यनारायण	लोगों / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ128836015	हेमराज	लोगों / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ105884858	छोटी बानो	महात्मा गाँधी नरेगा से देय मानव दिवस का लाभ नहीं दिया
33	उदयपुर	वलभनगर	बाठेडा खुर्द	RJ120223112	मधुलाल	महात्मा गाँधी नरेगा से देय मानव दिवस का लाभ नहीं दिया
				RJ132319422	उदीबाई	लाभार्थी द्वारा आवास का गैर आवासीय प्रयोग किया जा रहा है
				RJ148574221	लक्ष्मण	लाभार्थी द्वारा आवास का गैर आवासीय प्रयोग किया जा रहा है
				RJ132237025	रंगा	लोगों / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
				RJ130803123	पुष्पा	स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं



11. सामाजिक अंकेक्षण आंकलन एवं विश्लेषण

सामाजिक अंकेक्षण में पायी गई अनियमितताए़/कमियों के बिन्दु :-

वर्ष 2023–24 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सामाजिक अंकेक्षण उपरान्त मुख्यतः निम्न कमिया पाई गई:-

- महात्मा गांधी नरेगा से देय मानव दिवस का लाभ नहीं दिया
- वास्तव में मकान पूर्ण, किंतु लाभार्थी को किश्त का भुगतान नहीं
- लाभार्थी द्वारा आवास का गैर आवासीय प्रयोग किया जा रहा है।
- अपूर्ण आवास को पूर्ण दिखाया गया ।
- लाभार्थी द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़कर स्थायी रूप से पलायन ।
- शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं ।
- शौचालय स्वीकृत नहीं होने से निर्मित नहीं ।
- आवास में बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं ।
- स्वच्छ पेयजल है या नहीं ।
- **PMAY(G)** लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ है या नहीं ।



12. अधिकतम अनियमितताओं का विवरण

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की अधिकतम अनियमितताओं का विवरण :-

संभाग	अनियमितताएं
अजमेर	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
	आवास अपूर्ण
भरतपुर	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
	आवास अपूर्ण
बीकानेर	शौचालय स्वीकृत नहीं होने से निर्मित नहीं
	आवास अपूर्ण
	शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं
	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
जयपुर	आवास अपूर्ण
	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
	लाभार्थी द्वारा आवास का गैर आवासीय प्रयोग किया जा रहा है।
	स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं
जोधपुर	वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नहीं
	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
	आवास अपूर्ण
	शौचालय स्वीकृत नहीं होने से निर्मित नहीं
कोटा	वास्तव में मकान पूर्ण लेकिन लाभार्थी को किस्त का भुगतान नहीं
	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
	आवास अपूर्ण
उदयपुर	महात्मा गाँधी नरेगा से देय मानव दिवस का लाभ नहीं दिया
	लोगो / सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
	आवास अपूर्ण
	शौचालय स्वीकृत नहीं होने से निर्मित नहीं





Government of Rajasthan

Society for Social Audit, Accountability and Transparency (SSAAT) Rajasthan, Jaipur
सामाजिक लेखा परीक्षा, जबावदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी

Created by: Rakesh Bhargava (SRP)